न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती गुप्ता (आरएएस)

दावा संख्या– 125/2023 दर्ज तिथि :– 21.06.2023

गंगादास वगै. बनाम घनश्याम वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. वसिलसिले मुकदमा नम्बर 125/2023 उनवानी गंगादास बनाम घनश्याम

आदेश

दिनांक – 07-04-2026

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम 11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सूक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88, 188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 359 रकवा 0.35 है, गत खसरा नम्बर 114 मिन रकवा 1 बीघा 16 विस्वा को वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता स्व. श्री सुखराम ने जरिये पंजीकृत बयनामा उसके खातेदार गिर्राज वल्द नानगा से क्रय किया था परन्तु बंदोबस्त विभाग नें गलत रुप से खसरा नम्बर 49 मिन को गलत दर्शाते हुए प्रतिवादीगण के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज कर दिया है। अब उक्त भूमि नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अवाप्त कर ली गई है एवं अवाप्ति मुआवजा की प्रक्रिया के दौरान वादी को गलत इन्द्राजों की जानकारी हुई जिन्हें वादी ने कलमजन कर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आराजी खसरा नम्बर 359/0.35 पर अधिग्रहण की कार्यवाही की जा चुकी है व वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित है व अवार्ड भी विवादित आराजी का पारित हो चुका है। कानूनन आराजी पर अधिग्रहण की कार्यवाही होने एवं अवार्ड पास हो जाने पर विवादित आराजी पर दावे की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को हासिल नहीं है। इसलिये दावा वादीगण काबिल खारिजी के है।

इसका प्रत्युत्तर वादी द्वारा इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने उक्त दावा न्यायालय में बाबत् अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत किया है। उक्त खसरा नम्बर 359 कृषि भूमि थी उस कृषि भूमि से सम्बन्धित अधिकारों का निर्धारण दावे के माध्यम से किया जाना है क्योंकि बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौके व रिकॉर्ड के विपरीत उक्त नम्बर में खसरा नम्बर 49 मिन को मिला हुआ दर्शाकर असल प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज कर दिया है इस बन्दोबस्त के दौरान की गई गलतियों का निर्धारण अवप्ति की कार्यवाही होने के वाबजूद ही हकों का निर्धारण राजस्व अदालतों द्वारा ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा अपने अभिकथनों के संबंध मे निम्न न्यायिक दृष्टांतों को आधार बनाया है–

2019 RBT 351

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

प्रकरण मे वादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

2019(2) RRT 1045

1. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश –7 नियम–11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:—

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

(e) where it is not filed in duplicate;

(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

2. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam** प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:–

While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.

उपखण्ड अधिकारी

3. सिविल प्रकिया संहिता—1908 के आदेश —7 नियम—11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **Smt. V. Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam** प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय मे बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारिज किये जाने के प्रावधान बनाये गये है:—

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नही किया जाना।
2. वाद पत्र में अनुतोष के मुल्य की वास्तविक्ता से हम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरुस्त नहीं करना।
3. वाद पत्र मकं अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरुप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरुस्त नहीं करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नही किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रकिया संहिता—1908 के आदेश—9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

4. प्रकरण मे विवादित आराजी को नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त कर लिए जाने से विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 07 नियम—11 के तहत खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—63(i) (iii) का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है:—

धारा 63(1) के अनुसार, किसी काश्तकार का अपनी जोत (holding) या उसके किसी भाग में हित (interest) निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जाता है:

(iii) भूमि अधिग्रहण: यदि भूमि को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहीत कर लिया जाता है।

उक्त से स्पष्ट है कि जब किसी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया हो तो वह "कृषि भूमि" की श्रेणी से बाहर हो जाती है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय का दावे पर सुनवाई का अधिकार विधि द्वारा वर्जित हो जाता है।

Barred by Law

5. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान **M.Nelson Babu vs K. Kamalesh Babu** में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:—

Order 7 Rule 11(d) has limited application. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in

अधिकारी

the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into.

उक्त दावे मे वाद पत्र में वादी ने स्वयं भी यह माना है कि भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है एवं अवार्ड जारी होने के पश्चात् मुआवजा प्रक्रियाधीन है। जिससे राजस्व न्यायालय को उस भूमि के स्वामित्व के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार शेष नहीं रहता है। इसमें प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा पेश नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य होना पाते है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भारती गुप्ता, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई

ओ. 20 नि. 6–7 जाप्ता दीवानी

(civil procedure code Append ND-1)

न्यायालय उपखंड अधिकारी] भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती गुप्ता, आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्या – 125/2023

1. गंगादास पुत्र सुखरामदास
2. मोहनदास पुत्र सुखरामदास

जाति जाटव निवासी भजना की घडी (विजय नगर) तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गुट्टा
2. करतारसिंह पुत्र गुट्टा
3. प्रतापसिंह पुत्र गुट्टा

जाति जाटव निवासी भजना की घडी (विजय नगर) तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

....असल प्रतिवादीगण

4. राजेन्द्र पुत्र गुलावदास
5. सत्यप्रकाश पुत्र गुलावदास
6. किशनदास पुत्र हरीदास
7. गौतमदास पुत्र हरीदास

जाति जाटव निवासी भजना की घडी (विजय नगर) तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

8. रेखा पुत्री हरीदास पत्नि सुनील जाति जाटव निवासी हलैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर (राज.)

....तरकीवी

प्रतिवादीगण

9. नगर विकास न्यास भरतपुर

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 7, नियम 1 व 2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 बाबत् संयुक्त खातेदारी भूमि में अधिकारों की घोषणा, विभाजन मयपृथक कब्जे तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु।

प्रार्थी/ प्रतिवादी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11(घ) सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज तारीख 07.04.2026 को जारी की गई हैं।

(भारती गुप्ता, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर